न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/258

मिसल नम्बर– 38 / 2025

1.श्रीमती कान्ता देवी उर्फ कान्ता बाई पत्नी स्व0 श्री नन्द किशोर वर्मा आयु–61 वर्ष निवासी मकान संख्या 198 पंडित भवन के सामने, गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास, रामचन्द्रपुरा, छावनी कोटा राज0 मो0 9785294677

प्रार्थी।

बनाम

2.श्रीमती संगीता कुमारी पत्नी स्व0 चन्द्रशेखर वर्मा पुत्री मलखान सिंह आयु 29 वर्ष निवासी मकान संख्या 198 पंडित भवन के सामने, गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास, रामचन्द्रपुरा, छावनी, कोटा राज0 मो0 9784777929

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 25/7/25

उपस्थितिः–

1.श्री देवेन्द्र मीणा अधिवक्ता प्रार्थीगण।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया 61 वर्षीय वृद्ध विधवा महिला है तथा कानून की पालना करने वाली कोटा शहर की सभ्य एवं शांति प्रिय महिला है प्रार्थीया मकान संख्या–198, पंडित भवन के सामने, गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास, रामचन्द्रपुरा, छावनी, कोटा–राज० में निवास करती है तथा प्रार्थीया शांति प्रिय एक वृद्ध महिला है तथा प्रार्थीया के पति का पूर्व में देहान्त हो चुका है। अप्रार्थीया, प्रार्थिया की पुत्रवधु है तथा अपनी दोनो संतानों सहित प्रार्थीया के मकान में ही निवासरत है। अप्रार्थीया के पति (प्रार्थीया के पुत्र श्री चन्द्रशेखर वर्मा) का देहान्त दिनांक 10–09–2023 को हो गया है। विवाह के पश्चात् से ही अप्रार्थीया का व्यवहार प्रार्थीया व उसके परिवार के प्रति क्रूरतापूर्ण रहा। अप्रार्थीया आये दिन लडाई झगडा व गृह क्लेश करके अपने पति को मानसिक रूप से इतनी यातनाएं दे दी कि उन यातनाओं से प्रताडित व तंग आकर उसके पति को शराब के नशे की आदत पड़ गयी, जिसके कारण अप्रार्थीया के पति (प्रार्थीया के बडे पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर) का लीवर खराब हो गया, जिसके इलाज सम्बन्धी सारा खर्चा व तीमारदारी प्रार्थीया द्वारा ही की गई । जबकि अप्रार्थीया का यह नैतिक कर्तव्य था कि ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अपने पति की सेवा सुश्रूषा करनी चाहिये थी। लेकिन इसके विपरीत अप्रार्थीया आये दिन लडाई झगडा करते हुए उक्त मकान को अपने नाम करने के लिये अनावश्यक रूप से दबाव बनाते हुए प्रार्थीया व उसके छोटे पुत्र योगेश के साथ भी मारपीट करती। इसी के चलते प्रार्थीया के बडे पुत्र श्री चन्द्रशेखर वर्मा का देहान्त दिनांक 10 सितम्बर 2023 को हो गया। प्रार्थीया के बडे पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर (अप्रार्थीया के पति) की मृत्यु के पश्चात् भी अप्रार्थीया आयें दिन प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा व मारपीट कारित करते हुए उक्त मकान को अपने नाम कराने के लिये दबाव बनाती और मकान नाम न कराने की अवस्था में झूठे केस में फंसाने की धमकी देती। इसी प्रकार लडाई झगडा करते हुए दिनांक 14 नवम्बर 2023 को जब अप्रार्थीया ने प्रार्थीया के साथ मारपीट कर रही थी। उसी दौरान प्रार्थीया का छोटे बेटे योगेश ने बीच में अप्रार्थीया को रोकने का प्रयास किया तो अप्रार्थीया ने यह कहते हुए कि ''तेरे बडे भाई को जैसे निपटाया है आज तेरा भी खेल खत्म कर देती हूं उसके बाद इस डोकरी को निपटाउंगी। फिर तो यह मकान मेरा हो ही जायेगा।'' यह कहते हुए प्रार्थीया के छोटे बेटे योगेश के सिर पर पानी से भरी हुई बोटल से दे मारी जिससे प्रार्थीया का बेटा बेहोंश होकर जमीन पर गिर गया उसके बाद भी अप्रार्थीया ने प्रार्थीया के साथ मारपीट कारित की। अप्रार्थीया की उक्त वैहशियाना हरकत के कारण प्रार्थीया के छोटे पुत्र योगेश की दिमाग की नस डेमेज हो गयी इसके बाद भी अप्रार्थीया प्रार्थीया एवं उसके छोटे पुत्र योगेश के साथ आये दिन लडाई झगडा व मारपीट कारित करती। दिनांक 20 दिसम्बर 2024 को भी अप्रार्थीया ने पानी से भरी हुई बोटल से प्रार्थीया के छोटे पुत्र योगेश के सिर पर प्रहार किये जिसके कारण मेरे पक्षकार के छोटे पुत्र योगेश के सिर पर अन्दरूनी चोंट आयी। इस कारण उसे पहले डाक्टरों के यहां दिखाया गया और अंत में मैत्री होस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। जिसके इलाज के दौरान दिनांक 26 जनवरी 2025 को प्रार्थीया के छोटे बेटे योगेश का भी स्वर्गवास हो गया। अप्रार्थीया की क्रूरता व मारपीट व प्रताडनाओं के कारण प्रार्थीया के दोनो बेटों का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थीया उक्त मकान को हडप करने की एकमात्र प्रमुख बाधा प्रार्थीया को ही अपने रास्ते से हटाना चाहती है इसी कारण अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया के साथ आये दिन मारपीट कारित करते हुए उक्त मकान को अपने नाम करवाने के लिये दबाव बनाती है एवं अप्रार्थीया प्रार्थीया की जान तक ले सकती है। प्रार्थीया 61 वर्षीय वृद्धजन है, उसके पास उक्त मकान के अतिरिक्त निवास व आय का कोई अन्य स्त्रोत नही है। उक्त मकान से आने वाला किराया जो कि लगभग 15 से 20 हजार रूपये प्रतिमाह है के माध्यम से प्रार्थीया आज दिनांक तक स्वंय का एवं अप्रार्थीया व उसकी दोनो संतानों की समस्त अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति प्रार्थीया द्वारा ही की जाती रही है। इतना ही नही अप्रार्थीया की बडी पुत्री काश्वी के उत्तम शिक्षण व्यवस्था हेतु उसका दाखिला कोटा के विख्यात विद्यालय डीपीएस स्कूल शाखा छावनी में करवाया गया जिसका समस्त खर्चा प्रार्थीया द्वारा ही वहन किया गया है। लेकिन अप्रार्थीया की मंशा प्रारम्भ से ही उक्त मकान को हडप करने की रही है। जिसके चलते अप्रार्थीया की क्ररता व प्रताडनाओं के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा *

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिनियम के

कारण प्रार्थीया पहले ही अपनी दोनो संतानों को खो चुकी है और अप्रार्थीया, प्रार्थीया को भी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते हुए उक्त मकान को अपने नाम करवाने हेतु दबाव बना रही है तथा मकान नाम न करने की सूरत में मार डालने पर आमादा है । दिनांक 13–04–2025 को भी मकान अपने नाम कराने का दबाव बनाकर अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट कारित करते हुए जाने से मारने का प्रयास किया। अप्रार्थीया पहले भी कई बार प्रार्थीया को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित कर चुकी है। प्रार्थीया ने थाना गुमानपुरा, कोटा एवं उसके पश्चात् पुलिस आधीक्षक, कोटा शहर को दिनांक 15–05–2025 को भी परिवाद दिया प्रस्तुत किया था लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। इसी कारण अप्रार्थीया के होंसले और बुलंद हो गये और वह आये दिन प्रार्थीया को शारीरिक व मानसिक रूप से आहत करती रहती है। प्रार्थीया वृद्ध महिला है तथा अक्सर बीमार रहती है। इस प्रकार आप्रार्थीया का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रार्थीया की सेवा सुश्रृषा व भरण पोषण के दायित्वों का निर्वहन करें । प्रार्थीया के मिल्कीयती परिसर में प्रार्थीया के शांति पूर्ण जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे और न ही प्रार्थीया के स्वामित्व वाली सम्पत्ति के बेचान अथवा नामांतरण के लिये प्रार्थी व उसकी पत्नी को विवश करे। अतः अत्यधिक विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय अप्रार्थीया को इस बाबत् पाबन्द करे कि अप्रार्थीया, प्रार्थीया के भरण पोषण व देखभाल की समुचित व्यवस्था एवं प्रबन्ध करें, प्रार्थीया के साथ समूचित व्यवहार करें और प्रार्थीया के उसकी मिल्कीयती आवासीय परिसर में शांति पूर्वक रहने दे एवं प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट कारित न करें और अन्य किसी भी प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रमाणित न करें तथा प्रार्थीया के स्वामित्व वाले मकान से प्रार्थीया को बेदखल करने तथा हडप करने का प्रयास न करे एवं प्रार्थीया के साथ ऐसा कोई कृत्य अमल में नही लावे जिससे प्राथ्थीया के जीवन की सुख–शांति भंग हो और प्रार्थीया को किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आधात पहुंचे। प्रार्थीया को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने दे एवं उनके साथ किभी प्रकार से अभद्र व्यवहार न करें। प्रार्थीया की मिल्कीयती सम्पत्ति के बेचान नामान्तरण के लिये विवश न करें। साथ ही अन्य अनुतोष स्वीकृत करें जो तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन ठीक और उचित समझे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीया बावजूद सूचना अनुपस्थिति होने के कारण अप्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली बहस अंतिम वास्ते नियत की गई।

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि अप्रार्थीया, प्रार्थीया को भी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते हुए उक्त मकान को अपने नाम करवाने हेतु दबाव बना रही है तथा मकान नाम न करने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की सूरत में मार डालने पर आमादा है । अप्रार्थीया बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये है और ना ही प्रकरण में अप्रार्थीया द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन किया गया है। चूंकि अप्रार्थीया की ओर से प्रार्थी की कथनों का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थी के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र एवं बंटवारानामा की प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान पर प्रार्थी के स्वामित्व की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीया को पाबंद किया जाता है कि वे अप्रार्थीया, प्रार्थीया के भरण पोषण व देखभाल की समुचित व्यवस्था एवं प्रबन्ध करें, प्रार्थीया के साथ समूचित व्यवहार करें और प्रार्थीया के उसकी मिल्कीयती आवासीय परिसर में शांति पूर्वक रहने दे एवं प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट कारित न करें और अन्य किसी भी प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रमाणित न करें तथा प्रार्थीया के स्वामित्व वाले मकान से प्रार्थीया को बेदखल करने तथा हडप करने का प्रयास न करें एवं प्रार्थीया के साथ ऐसा कोई कृत्य अमल में नही लावे जिससे प्राथ्थीया के जीवन की सुख–शांति भंग हो और प्रार्थीया को किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आधात पहुंचे। प्रार्थीया को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने दे एवं उनके साथ किभी प्रकार से अभद्र व्यवहार न करें। प्रार्थीया की मिल्कीयती सम्पत्ति के बेचान नामान्तरण के लिये विवश न करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 25/7/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा